अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 457(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 03.10.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2302(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''मठारू भूमि फाउन्डेशन (एनजीओ), ए- 437, तीसरा तल, जी. डी. कालोनी मयूर विहार फेज-III, दिल्ली-110096'' द्वारा ''शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के लिए व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण'' की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षो की अवधि के लिए 35.15 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 15 पर अधिसूचित किया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि 35.15 लाख रुपए की परियोजना लागत को 2.88 करोड़ रुपए के रूप में संशोधित किए जाने की संभावना है।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों के लिए परियोजना लागत को 35.15 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.88 करोड़ करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा ''मठारू भूमि फाउन्डेशन (एनजीओ), ए- 437, तीसरा तल, जी. डी. कालोनी मयूर विहार फेज-III, दिल्ली-110096'' द्वारा चलाई जा रही ''शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के लिए व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

(ख) दिनांक 3.10.2011 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 3202 (अ) को निम्नलिखित प्रभाव के लिए संशोधित करती है नामत :

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 15, कालम (4) के सामने सारणी में, "35.15 लाख रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "2.88 करोड़ रुपए" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे'।

[सं. 87/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-**एसओ** (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)